

परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं।	सौंपा। एलडीए उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो संस्थान पहले से सील किए गए हैं, उन्हें	और हिता की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से निरंतर संघर्ष करता रहेगा।	नाविका एवं प्रशिक्षित तैराकों के सहयोग से और बेहतर आश्रय मिल सके।
-----------------------------------	--	--	---

ईरान पर अमेरिकी हमले, सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा

140 सैन्य ठिकाने बने निशाना, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका-ईरान आमने-सामने



नई दिल्ली/वॉशिंग्टन(एजेंसी)। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हालिया सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा होने की घोषणा की है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने सोमवार को बताया कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों में वायु रक्षा प्रणाली, रखर केंद्र, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग ठिकानों तथा छोटी सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार लड़ाकू विमान, युद्धपोत, हवाई ड्रोन और नौसैनिक ड्रोन का

अमेरिका ने रविवार को होर्मुज क्षेत्र में एक कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर कई चरणों में हवाई हमले किए। इनमें मिसाइल एवं ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, गोला-बारूद के भंडार, संचार केंद्र और अन्य सैन्य प्रतिष्ठान शामिल रहे। इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान में मिसाइल हमलों की चेतावनी के बीच सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया।

गोला-बारूद के भंडार, संचार केंद्र और अन्य सैन्य प्रतिष्ठान शामिल रहे। इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और

ओमान में मिसाइल हमलों की चेतावनी के बीच सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। बहरीन में सोमवार तड़के सायरन भी बजे, हालांकि तत्काल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। ईरान के सरकारी मीडिया ने देश के कई हिस्सों में ताजा हवाई हमलों की पुष्टि करते हुए कम से कम एक व्यक्ति की मौत की जानकारी दी। वहीं, ईरान ने दावा किया कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जबकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि समुद्री मार्ग अब भी खुला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर 'जबरदस्त बमबारी' की है। दूसरी ओर, ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि 'एकतरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। ' इस बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एं토नियो गुतेर्रेस ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि क्षेत्र में व्यापक युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।

कैलाश पर्वत आज भी अजेय, रहस्य और आस्था का अनोखा संगम

एवरेस्ट पर हजारों ने चढ़ाई की, लेकिन कैलाश की चोटी आज तक मानव के लिए अछूती



बताया जाता है कि वर्ष 2001 में चीन ने हेलीकॉप्टर से पर्वत के ऊपर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने के कारण उसे लौटना पड़ा। इसके बाद चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश पर्वत के समीप स्थित मानसरोवर झील का मीठ जल और राक्षसताल का खारा पानी भी लोगों के लिए आकर्षण और शोध का विषय हैं। कई लोग कैलाश को 'एक्सिस मुंडी' (ब्रह्मांड का केंद्र) भी मानते हैं।

ऊपर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने के कारण उसे लौटना पड़ा। इसके बाद चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश पर्वत के समीप स्थित मानसरोवर झील का मीठा जल और राक्षसताल का खारा पानी भी लोगों के लिए आकर्षण और शोध का

मुंह के छालों से राहत देंगे ये आसान घरेलू उपाय

नई दिल्ली। मुंह के छाले भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके कारण खाने, पीने और बोलने में काफी दर्द और जलन होती है। अधिकांश मामलों में ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ घरेलू उपाय असहजता कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मुंह के छाले विटामिन बी-12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी, तनाव, हार्मोनल बदलाव, मुंह में चोट या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण हो सकते हैं। छालों में नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करना सबसे सामान्य उपाय माना जाता है। नमक के एंटीमाइक्रोबियल गुण बैक्टीरिया को कम करने और सूजन घटाने में सहायक हो सकते हैं। वहीं शहद के एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जलन कम करने और प्रभावित हिस्से पर सुरक्षात्मक परत बनाने में मदद करते हैं। नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड बैक्टीरिया और सूजन से लड़ने में सहायक माना जाता है तथा प्रभाविता हिस्से में नमी बनाए रखकर दर्द कम कर सकता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा मुंह के पीएच स्तर को संतुलित कर



विशेषज्ञों के अनुसार, मुंह के छाले विटामिन बी-12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी, तनाव, हार्मोनल बदलाव, मुंह में चोट या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण हो सकते हैं। छालों में नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करना सबसे सामान्य उपाय माना जाता है। नमक के एंटीमाइक्रोबियल गुण बैक्टीरिया को कम करने और सूजन घटाने में सहायक हो सकते हैं। वहीं शहद के एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जलन कम करने और प्रभावित हिस्से पर सुरक्षात्मक परत बनाने में मदद करते हैं।

जलन कम करने में मदद कर सकता है। दर्द से तत्काल राहत के लिए ठंडा पानी या बर्फ की सिकाई भी लाभदायक हो सकती है, हालांकि बर्फ को सीधे लंबे समय तक छाले पर नहीं रखना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मुंह के छाले दो सप्ताह से अधिक समय तक बने रहें, बार-बार हों या अत्यधिक दर्द व बुखार जैसी समस्या के साथ दिखाई दें, तो घरेलू उपचार पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सक से जांच और उचित उपचार कराना चाहिए।

नियमित कॉफी से लिवर रोगों का खतरा घट सकता है: अध्ययन

कॉफी पीने वालों के लिए एक नई रिसर्च राहत भरी खबर लेकर आई है। अमेरिका के सीडर्स-सिनाई के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि नियमित रूप से कॉफी पीने वाले लोगों में लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और लिवर संबंधी बीमारियों से मृत्यु का जोखिम कम हो सकता है। यह अध्ययन मेडिकल जर्नल क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। शोध में ब्रिटेन के यूके बायोबैंक से जुड़े करीब 3.55 लाख लोगों के स्वास्थ्य आंकड़ों का लगभग 13 वर्षों तक विश्लेषण किया गया। अध्ययन के अनुसार, रोजाना पांच या उससे अधिक कप कॉफी पीने वालों में सिरोसिस का खतरा 32 प्रतिशत, लिवर कैंसर का खतरा 47 प्रतिशत और लिवर संबंधी बीमारियों से मृत्यु का जोखिम 42 प्रतिशत तक कम पाया गया। हालांकि शोषकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग अधिक मात्रा में कॉफी पीना शुरू कर दें। अध्ययन में एक से चार कप प्रतिदिन कॉफी पीने वालों में भी सकारात्मक संबंध देखने को मिला, जबकि तीन से चार कप पीने



रिसर्च में सिरोसिस और लिवर कैंसर का जोखिम कम मिलने के संकेत, विशेषज्ञ बोलें- केवल कॉफी पर न रहें निर्भर

वालों में लाभ सबसे अधिक दिखाई दिया। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. जू डोंग यांग के अनुसार, जो लोग कॉफी आसानी से पचा लेते हैं, उनके लिए सामान्य मात्रा में इसका सेवन लाभकारी हो सकता है। लेकिन केवल लिवर की सुरक्षा के उद्देश्य से कॉफी पीना शुरू करने की सलाह नहीं दी जा सकती। शोध में यह भी पाया गया

कि कॉफी पीने वालों के लिवर में फैट, सूजन और फाइब्रोसिस के संकेत अपेक्षाकृत कम थे। दिलचस्प बात यह रही कि कैफीनयुक्त और डिकैफ (बिना कैफीन) दोनों प्रकार की कॉफी से समान लाभ जुड़े पाए गए, जिससे संकेत मिलता है कि कॉफी में मौजूद अन्य जैविक तत्व भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए केवल कॉफी पर्याप्त नहीं है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मधुमेह पर नियंत्रण और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों से बचाव भी उतना ही आवश्यक है।

यह अध्ययन मेडिकल जर्नल क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। शोध में ब्रिटेन के यूके बायोबैंक से जुड़े करीब 3.55 लाख लोगों के स्वास्थ्य आंकड़ों का लगभग 13 वर्षों तक विश्लेषण किया गया। अध्ययन के अनुसार, रोजाना पांच या उससे अधिक कप कॉफी पीने वालों में सिरोसिस का खतरा 32 प्रतिशत, लिवर कैंसर का खतरा 47 प्रतिशत और लिवर संबंधी बीमारियों से मृत्यु का जोखिम 42 प्रतिशत तक कम पाया गया। हालांकि शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग अधिक मात्रा में कॉफी पीना शुरू कर दें।

शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अध्ययन केवल कॉफी सेवन और बेहतर लिवर स्वास्थ्य के बीच संबंध दर्शाता है, इससे यह साबित नहीं होता कि कॉफी ही इन लाभों का प्रत्यक्ष कारण है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाटा प्रोजेक्ट्स का 940 करोड़ का हाईवे कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया, कहा- NHA का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला ‘पहले से तय’

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHA), जो संचिधान के आर्टिकल 12 के तहत 'राज्य' (State) है, मनमाने ढंग से हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही खत्म नहीं कर सकती और न ही देश के लिए कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकती है, जब देशी खुद अथॉरिटी की गलती से हुई हो-जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलती किसी रकामट वाली जमीन और साफ रास्ता न सौंप पाना। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी ने कहा, 'इस मामले में आर्टिकल 12 के तहत

'राज्य' मानी जाने वाली पार्टी का काम जनहित के काम को प्रभावित करने वाला और मनमाना पाया गया। इसलिए यह कोर्ट व्यापक जनहित में न्याय के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को रोकने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। अगर नेशनल हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट में देशी 'राज्य' (जो कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी है) को लापरवाही, असावधानी और मनमानी के कारण होती है तो कोर्ट के लिए इस याचिका में उद्घाटन हुए ऐसे कदमों के असली कारणों को समझने के लिए 'कॉर्पोरेट आवरण' (corporate veil) को हटाकर देखना पूरी तरह सही है। ' NHA ने दिसंबर 2018 में गढ़मुक्तेेश्वर और मेरठ के बीच NH-709 के 50.254 km हिस्से को चौड़ा और अपग्रेड करने

के लिए प्रस्ताव मंगाए, जिसकी लागत ₹940.68 करोड़ थी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को चुना गया और मार्च 2021 में एक्सपेंसेस लेटर (स्वीकृत पत्र) जारी किया गया। काम शुरू करने की तारीख 10 अक्टूबर 2021 तय की गई थी और काम पूरा करने की समय-सीमा 10 अक्टूबर 2023 थी। 21 सितंबर 2021 के हैंडओवर मेमोरैंडम में कुल लंबाई के 47.620 ब्रह्म, यानी 94.76% हिस्से के सौंपे जाने की बात दर्ज थी। याचिका को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने 14 जनवरी 2025 के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के आदेश उसके बाद बैंक गारंटी जन्म करने की कार्रवाई और 3 फरवरी 2025 को जारी नए टेंडर रद्द किया। कॉन्ट्रैक्टर के 14 महीनों में काम पूरा करने के वादे को रिकॉर्ड करते हुए और यह देखते

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी ने कहा, 'इस मामले में आर्टिकल 12 के तहत 'राज्य' मानी जाने वाली पार्टी का काम जनहित के काम को प्रभावित करने वाला और मनमाना पाया गया। इसलिए यह कोर्ट व्यापक जनहित में न्याय के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को रोकने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी।

हुए कि किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बने थे और कब्जा कॉन्ट्रैक्टर के पास ही था, कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे एक गारंटी जन्म करने का नया संयुक्त निरीक्षण करें और EPC एग्रीमेंट के तहत बड़े जनहित में प्रोजेक्ट का नया शेड्यूल बनाकर उसे पूरा करें।

पति-पत्नी की तरह साथ रहने पर वैध विवाह का कड़ा सबूत मांगकर भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हों और उनका वैवाहिक संबंध अन्य परिस्थितियों से स्थापित होता हो, तो भरण-पोषण के दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वैध विवाह का सख्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जस्टिस अचल सचदेव ने यह टिप्पणी महाराजगंज फैमिली कोर्ट के उस आदेश को आंशिक रूप से रद्द करते हुए की, जिसमें महिला की भरण-पोषण याचिका केवल इसलिए खारिज कर दी गई थी क्योंकि वह स्वयं को विधिक रूप से विवाहित पत्नी साबित करने वाले दस्तावेज

पेश नहीं कर सकी थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्ष 2017 में दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन किया था। इसके बाद वह पति के साथ रहने लगी और उनके संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ। महिला का आरोप था कि विवाह के बाद उससे अतिरिक्त देहज, विशेषकर चार पहिया वाहन की मांग की गई, उसके साथ मारपीट की गई और अंततः उसे उसके नाबालिग बेटे के साथ घर से निकाल दिया गया। उसने अपने लिए 25,000 प्रति माह तथा बेटे के लिए 15,000 प्रति माह भरण-पोषण की मांग की थी। दूसरी ओर, पुरुष ने यह स्वीकार किया कि दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन किया था, वह महिला के साथ अपने सरकारी आवास में रहा और उनके संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ।

हालांकि, उसने देहज मांगने और प्रताड़ना के आरोपों से इनकार किया। हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पुरुष की इन स्वीकारोक्तियों की अनदेखी करते हुए केवल तकनीकी आधार पर महिला की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब दोनों के पति-पत्नी की तरह साथ रहने और उनके संबंध से संतान होने के तथ्य स्वीकार हैं, तब केवल वैध विवाह के कठोर प्रमाण के अभाव में भरण-पोषण से इनकार करना उचित नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चे को ₹5,000 प्रतिमाह भरण-पोषण देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि धारा 125 एडवैक्ट के तहत पिता का दायित्व वैध और अवैध, दोनों प्रकार की संतान का भरण-पोषण करना है।

मंदिर चंदा घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम आईएएस अधिकारी धोखाधड़ी जाल साजी का है मुकदमा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) का नेतृत्व कर रहे 2004 बैच के आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत को कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े एक आपराधिक मामले में आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ मामला 2013 से 2015 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण विभाग के शीर्ष अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं से संबंधित है। फरवरी 2019 में, पंत उन 14 अधिकारियों में शामिल थे, जो पश्चिमी विद्युत वितरण निगम (डब्ल्यूईडीसी) से संबंधित थे और जिसके खिलाफ मेरठ के परिशिष्टागढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 465 (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) एक श्रम ठेकेदार की शिकायत के बाद दर्ज की गई,

जिसने विभाग के अधिकारियों पर अपने भुगतान रोकने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। हालांकि पंत का नाम एफआईआर में डब्ल्यूईडीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में दर्ज है - यह पद उन्होंने 7 फरवरी, 2013 से 3 दिसंबर, 2015 तक संभाला था - लेकिन मुख्य आरोप के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। जब 2019 में श्रम ठेकेदार शिवकुमार शर्मा की शिकायत पर यह मामला मूल रूप से दर्ज किया गया था, तब वे कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट थे। एसआईटी प्रमुख और लंबित धोखाधड़ी हिंदी भाषा के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने अपने मोशल मीडिया चैनल ' टॉप सिक्रेट' पर दी थी। ' जो व्यक्ति स्वयं धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में जांच के दायरे सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) एक श्रम ठेकेदार की शिकायत के बाद दर्ज की गई,

राम मंदिर की जांच निष्पक्ष कैसे होगी? यह ठीक वैसे ही होगी जैसे सरकार निर्देश देगी,' उपाध्याय ने 8 जुलाई को झू पर लिखा। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने राम मंदिर चंदा घोटाले के बारे में बात करते हुए इस मामले का जिक्र किया। उन्होंने पंत का नाम लेते हुए कहा, 'भाजपा सरकार ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख के रूप में उसी व्यक्ति को नियुक्त किया है जिस पर लूट और गबन का आरोप है। ' एसआईटी एक लीपापोती है। और मैंने सुना है कि एसआईटी पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसके एक सदस्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत एफआईआर दर्ज है। अब बताइए, क्या ऐसा व्यक्ति एसआईटी में बना रहेगा?' समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदली 8वीं की किताब ज्यूडिशियरी, नेताजी और बंटवारे वाले चैप्टर में बड़े बदलाव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कक्षा 8 की सोशल साइंस की संशोधित किताब जारी कर दी है। नई पुस्तक में सिर्फ न्यायपालिका (ज्यूडिशियरी) वाले अध्याय में ही नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के बंटवारे और विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े हिस्सों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद किया गया, जिसमें पुराने संस्करण को वापस लेने और उसकी जगह नया संस्करण प्रकाशित करने की कहा गया था। संशोधित पुस्तक 'समाज का अध्ययन: भारत और उसके आगे' में आजाद हिंद फौज के गठन से जुड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भों में बदलाव किया गया है। पहले किताब में लिखा था कि

नेताजी ने 'हिटलर' से मदद मांगी थी और हिटलर को उसकी 'नस्लवादी नाजी विचारधारा और विस्तारवादी लक्ष्यों' के कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से जोड़ा गया था। नए संस्करण में हिटलर और नाजी विचारधारा से जुड़े ये सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। अब केवल यह कहा गया है कि नेताजी ने सेना खड़ी करने के लिए ब्रिटिश विरोधी ताकतों से समर्थन मांगा था। इतिहास के अध्याय India's Long Road to Independence में भारत के बंटवारे को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब किताब में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का व्यापक विरोध किया था और इसे स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता था या नहीं, यह आज भी बहस का विषय है। वहीं, पुरानी किताब में मौजूद वह पंक्ति हटा दी गई है, जिसमें कहा गया था कि विभाजन के दौरान जब उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक कत्लेआम हो रहा था, तब

कांग्रेस नेता बेवस थे। इसके अलावा संशोधित पुस्तक में यह भी जोड़ा गया है कि 1925 में विनायक दामोदर सावरकर ने भी स्वराज की मांग की थी, जबकि पिछले संस्करण में इसका उल्लेख नहीं था। विवाद के बाद ज्यूडिशियरी वाले अध्याय को पूरी तरह दोबारा लिखा गया है। अब इसमें न्यायपालिका की आलोचना से हटकर विरोधी ताकतों से समर्थन मांगा था। इतिहास के अध्याय India's Long Road to Independence में भारत के बंटवारे को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब किताब में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का व्यापक विरोध किया था और इसे स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता था या नहीं, यह आज भी बहस का विषय है। वहीं, पुरानी किताब में मौजूद वह पंक्ति हटा दी गई है, जिसमें कहा गया था कि विभाजन के दौरान जब उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक कत्लेआम हो रहा था, तब

हियरिंग और अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग जैसी हालिया तकनीकी पहलों की जानकारी भी दी गई है। संशोधित किताब के एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में कहा गया है कि यह संस्करण एक समीक्षा प्रक्रिया के बाद प्रकाशित किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) रिट याचिका में की गई थी। इसमें यह भी बताया गया है कि ज्यूडिशियरी वाले अध्याय को शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप दोबारा तैयार किया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कटेट का स्वतः संज्ञान लेते हुए ज्यूडिशियरी अध्याय के कुछ हिस्सों को अप्रतिजनक बताया था। अदालत ने NCERT को किताब की सभी प्रिंट और डिजिटल प्रतियां वापस लेने, उनके प्रसार पर रोक लगाने और संशोधित संस्करण प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

